रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 383] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 11, 2015/ज्ये"ठ 21, 1937
No. 383] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 11, 2015/JYAISTHA 21, 1937

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून 2015

सा.का.नि. 476(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गेहूं विकास निदेशालय, गाजियाबाद, समूह घ पद भर्ती नियम, 1996 को अधिक्रांत करते हुए, गेहूं विकास निदेशालय, गाजियाबाद में समूह "ग" बहुकार्य कर्मचारिवृंद के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, गेहूं विकास निदेशालय, बहुकार्य कर्मचारिवृंद, भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना : ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विर्निदिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैण्ड और ग्रेड वेतन या वेतनमानः पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैण्ड तथा ग्रेड वेतन या उससे संलग्न वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. निरर्हताः वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्तिः जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्तिः इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैन्ड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
बहुकार्य कर्मचारिवृंद	4* (2015)* (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ' ग ',, अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैन्ड-1 5200-20,200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रुपये	लागू नहीं होता	आयु 18-25 वर्ष के बीच **टिप्पण :-** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती किए जाने की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	मैट्रिकुलेशन अथवा समतुल्य पास	लागू नही होता

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति; भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)** :- 1. निदेशक (संबंधित फसल निदेशालय) - अध्यक्ष 2. संयुक्त निदेशक (संबंधित फसल निदेशालय) – सदस्य 3. सहायक निदेशक (संबंधित फसल निदेशालय) - सदस्य 4. फसल निदेशालय से भिन्न केन्द्रीय सरकार के विभाग का एक अधिकारी – सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. 1-2/2014-सीए-III]

एम. के. सहाय, अवर सचिव (फसल)

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture & Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd June, 2015

G.S.R. 476(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of Directorate of Wheat Development, Ghaziabad, Group 'D' posts recruitment rules, 1996, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C', Multi Tasking Staff posts in the Directorate of Wheat Development, Ghaziabad.

1. **Short title and Commencement**.—

(1) These rules may be called the Directorate of Wheat Development, Department of Agriculture and Cooperation, Ministry of Agriculture, Multi Tasking Staff Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application**.—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed hereto.

3. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the said Schedule annexed to these rules.

4. **Method of Recruitment, age limit and qualification, etc.—**The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in Columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.—**No person ,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.—**Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.—**Nothing in these rules shall effect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes, Other Backward Classes, Ex-Serviceman and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time-to-time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether Selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Multi Tasking Staff	4*(2015) *(Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs.5200-20,200/- plus Grade Pay of Rs.1800	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18-25 of age **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir state, Lahul and Spiti district and pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pardesh, Andaman and Nicobar Island and Lakshdweep). In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names	Matriculation or equivalent pass	Not applicable	Two years

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(10)	(11)	(12)	(13)
By direct recruitment	Not applicable	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation):-** 1.Director (Crops Directorate concerned) - Chairman 2. Joint Director (Crops Directorate concerned) - Member 3. Assistant Director (Crops Directorate - Member Concerned) 4. An officer of the Central Government - Member Department other than the Crops Directorate	Not applicable

[F. No. 1-2/2014-CA-III]

M. K. SAHAY, Under Secy. (Crops)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून 2015

सा.का.नि. 477(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कदन्न विकास निदेशालय, जयपुर समूह घ पद भर्ती नियम, 1998 को अधिक्रांत करते हुए, कदन्न विकास निदेशालय, जयपुर में समूह "ग" बहुकार्य कर्मचारिवृंद के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, कदन्न विकास निदेशालय, बहुकार्य कर्मचारिवृंद, भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना : ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1)में विर्निदिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैण्ड और ग्रेड वेतन या वेतनमानः पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैण्ड तथा ग्रेड वेतन या उससे संलग्न वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. निरर्हताः वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं हो गाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्तिः जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्तिः इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैन्ड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
बहुकार्य कर्मचारिवृंद	4* (2015) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ' ग ',, अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैन्ड-1 5200-20,200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रुपये	लागू नहीं होता	आयु 18-25 वर्ष के बीच **टिप्पण** :- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती किए जाने की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	मैट्रिकुलेशन अथवा समतुल्य पास	लागू नही होता

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति; भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) :- 1. निदेशक (संबंधित फसल निदेशालय) - अध्यक्ष 2. संयुक्त निदेशक (संबंधित फसल निदेशालय) - सदस्य 3. सहायक निदेशक (संबंधित फसल निदेशालय) - सदस्य 4. फसल निदेशालय से भिन्न केन्द्रीय सरकार के विभाग का एक अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. 1-2/2014-सीए-III]

एम. के. सहाय, अवर सचिव (फसल)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd June, 2015

G.S.R. 477(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of Directorate of Millets Development, Jaipur Group 'D' post Recruitment Rules, 1998, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C', Multi Tasking Staff posts in the Directorate of Millets Development, Jaipur.

1. Short title and Commencement.—

(1) These rules may be called the Directorate of Millets Development, Department of Agriculture and Cooperation, Ministry of Agriculture, Multi Tasking Staff Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.—**These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed hereto.

3. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.—**The number of posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the said Schedule annexed to these rules.

4. **Method of Recruitment, age limit and qualification, etc.—**The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in Columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.—**No person ,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.—**Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.—**Nothing in these rules shall effect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes, Other Backward Classes, Ex-Serviceman and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time-to-time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether Selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Multi Tasking Staff	4*(2015) *(Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs.5200-20,200/- plus Grade Pay of Rs.1800	Not applicable

Age- limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18-25 of age **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir state, Lahul and Spiti district and pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pardesh, Andaman and Nicobar Island and Lakshdweep). In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names	Matriculation or equivalent pass	Not applicable	Two years

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(10)	(11)	(12)	(13)
By direct recruitment	Not applicable	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation):-** 1.Director (Crops Directorate concerned) - Chairman 2. Joint Director (Crops Directorate concerned) - Member 3. Assistant Director (Crops Directorate Concerned) - Member 4. An officer of the Central Government Department other than the Crops Directorate - Member	Not applicable.

[F. No. 1-2/2014-CA-III]

M. K. SAHAY, Under Secy. (Crops)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून 2015

सा.का.नि. 478(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गन्ना विकास निदेशालय (डायरेक्ट्रेट ऑफ शुगरकेन डेवलपमेंट), (समूह ग और घ पद) भर्ती नियम, 1968 को अधिक्रांत करते हुए, गन्ना विकास निदेशालय, लखनऊ में समूह "ग" बहुकार्य कर्मचारिवृंद के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, गन्ना विकास निदेशालय, बहुकार्य कर्मचारिवृंद, भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना : ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1)में विर्निदिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैण्ड और ग्रेड वेतन या वेतनमानः पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैण्ड तथा ग्रेड वेतन या उससे संलग्न वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. निरर्हताः वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्तिः जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्तिः इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैन्ड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
बहुकार्य कर्मचारिवृंद	4* (2015) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ' ग ', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	5200-20,200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रूपये	लागू नहीं होता	आयु 18-25 वर्ष के बीच **टिप्पण 1**:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहkSल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती किए जाने की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	मैट्रिकुलेशन अथवा समतुल्य पास	लागू नही होता

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति; भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)** :- 1. निदेशक (संबंधित फसल निदेशालय) - अध्यक्ष 2. संयुक्त निदेशक (संबंधित फसल निदेशालय) – सदस्य 3. सहायक निदेशक (संबंधित फसल निदेशालय) - सदस्य 4. फसल निदेशालय से भिन्न केन्द्रीय सरकार के विभाग का एक अधिकारी – सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा. सं. 1-2/2014-सीए-III]

एम. के. सहाय, अवर सचिव (फसल)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd June, 2015

G.S.R. 478(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of Ganna Vikas Nideshalaya (Directorate of Sugarcane Development), (Group 'C' and Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1968, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C', Multi Tasking Staff posts in the Directorate of Sugarcane Development, Lucknow.

1. Short title and Commencement.—

(1) These rules may be called the Directorate of Sugarcane Development, Department of Agriculture and Cooperation, Ministry of Agriculture, Multi Tasking Staff Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.—**These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed hereto.

3. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.—**The number of posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the said Schedule annexed to these rules.

4. **Method of Recruitment, age limit and qualification, etc.—**The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in Columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.—**No person ,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.—**Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.—**Nothing in these rules shall effect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes, Other Backward Classes, Ex-Serviceman and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time-to-time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether Selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Multi Tasking Staff	4*(2015) *(Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non- Ministerial	Rs.5200-20,200/- plus Grade Pay of Rs.1800	Not applicable

Age- limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18-25 of age **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir state, Lahul and Spiti district and pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pardesh, Andaman and Nicobar Island and Lakshdweep). In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names	Matriculation or equivalent pass	Not applicable	Two years

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(10)	(11)	(12)	(13)
By direct recruitment	Not applicable	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation):-** 1.Director (Crops Directorate Concerned) - Chairman 2. Joint Director (Crops Directorate Concerned) - Member 3. Assistant Director (Crops Directorate Concerned) - Member 4. An officer of the Central Government Department other than the Crops Directorate - Member	Not applicable

[F. No. 1-2/2014-CA-III]

M. K. SAHAY, Under Secy. (Crops)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 2015

सा.का.नि. 479(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और चावल विकास निदेशालय (डायरेक्ट्रेट ऑफ राईस डेवलपमेंट), (समूह ग और घ पद) भर्ती नियम, 1974 को अधिक्रांत करते हुए, चावल विकास निदेशालय, पटना में समूह "ग" बहुकार्य कर्मचारिवृंद के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, चावल विकास निदेशालय, बहुकार्य कर्मचारिवृंद, भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना : ये नियम इन नियमों में उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विर्निदिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैण्ड और ग्रेड वेतन या वेतनमानः पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैण्ड तथा ग्रेड वेतन या उससे संलग्न वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. निरर्हताः वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्तिः जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्तिः इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैन्ड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
बहुकार्य कर्मचारिवृंद	4* (2015)* (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ' ग ',, अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैन्ड-1 5200-20,200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रूपये	लागू नहीं होता	आयु 18-25 वर्ष के बीच **टिप्पण 1**:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती किए जाने की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	मैट्रिकुलेशन अथवा समतुल्य पास	लागू नही होता

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति; भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) :- 1. निदेशक (संबंधित फसल निदेशालय) - अध्यक्ष 2. संयुक्त निदेशक (संबंधित फसल निदेशालय) – सदस्य 3. सहायक निदेशक (संबंधित फसल निदेशालय) - सदस्य 4. फसल निदेशालय से भिन्न केन्द्रीय सरकार के विभाग का एक अधिकारी – सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. 1-2/2014-सीए-III]

एम. के. सहाय, अवर सचिव (फसल)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd June, 2015

G.S.R. 479(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of Chaval Vikas Nideshalaya (Directorate of Rice Development), (Group 'C' and 'D' posts) Recruitment Rules, 1974, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C', Multi Tasking Staff posts in the Directorate of Rice Development, Patna.

1. **Short title and Commencement**.—

(1) These rules may be called the Directorate of Rice Development, Department of Agriculture and Co-operation, Ministry of Agriculture, Multi Tasking Staff Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application**.—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed hereto.

3. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.—**The number of posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the said Schedule annexed to these rules.

4. **Method of Recruitment, age limit and qualification, etc.—**The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in Columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.—**No person ,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.—**Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.—**Nothing in these rules shall effect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Serviceman and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time-to-time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether Selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Multi Tasking Staff	4*(2015) *(Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs.5200-20,200/- plus Grade Pay of Rs.1800	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18-25 of age **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahul and Spiti district and pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pardesh, Andaman and Nicobar Island and Lakshdweep). In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names	Matriculation or equivalent pass	Not applicable	Two years

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(10)	(11)	(12)	(13)
By direct recruitment	Not applicable	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation):—** 1. Director (Crops Directorate concerned) - Chairman 2. Joint Director (Crops Directorate concerned) - Member 3. Assistant Director (Crops Directorate Concerned) - Member 4. An officer of the Central Government Department other than the Crops Directorate - Member	Not applicable

[F. No. 1-2/2014-CA-III]

M. K. SAHAY, Under Secy. (Crops)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 2015

सा.का.नि. 480(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दलहन विकास निदेशालय के पूर्व के समूह घ पद भर्ती नियमों को अधिक्रांत करते हुए, दलहन विकास निदेशालय,भोपाल में समूह "ग" बहुकार्य कर्मचारिवृंद के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, दलहन विकास निदेशालय, बहुकार्य कर्मचारिवृंद, भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना : ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विर्निदिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैण्ड और ग्रेड वेतन या वेतनमानः उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैण्ड तथा ग्रेड वेतन या उससे संलग्न वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. निरर्हताः वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्तिः जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैन्ड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
बहुकार्य कर्मचारिवृंद	4* (2015) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ' ग ',, अराजपत्रित , अननुसचिवीय	वेतन बैन्ड-1 5200-20,200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रुपये	लागू नहीं होता	आयु 18-25 वर्ष के बीच **टिप्पण :-** आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती किए जाने की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	मैट्रिकुलेशन अथवा समतुल्य पास	लागू नही होता

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति; भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	**समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए** :- 1. निदेशक (संबंधित फसल निदेशालय) - अध्यक्ष 2. संयुक्त निदेशक (संबंधित फसल निदेशालय) – सदस्य 3. सहायक निदेशक (संबंधित फसल निदेशालय) - सदस्य 4. फसल निदेशालय से भिन्न केन्द्रीय सरकार के विभाग का एक अधिकारी – सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. 1-2/2014-सीए-III]

एम. के. सहाय, अवर सचिव (फसल)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd June, 2015

G.S.R. 480(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of any earlier recruitment rules relating to Group 'D' posts in the Directorate of Pulses Development, and earlier Recruitment Rules, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C', Multi Tasking Staff posts in the Directorate of Pulses Development, Bhopal.

1. Short title and Commencement.—

(1) These rules may be called the Directorate of Pulses Development, Department of Agriculture and Co-operation, Ministry of Agriculture, Multi Tasking Staff Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.—**These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed hereto.

3. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.—**The number of posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the said Schedule annexed to these rules.

4. Method of Recruitment, age-limit and qualification, etc.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in Columns (5) to (13) of the aforesaid **Schedule.**

5. **Disqualification**.—No person ,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.—**Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.—**Nothing in these rules shall effect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes, Other Backward Classes, Ex-Serviceman and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time-to-time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	**Number of posts**	**Classification**	**Pay Band and Grade Pay/Pay Scale**	**Whether Selection post or non-selection post**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Multi Tasking Staff	4*(2015) *(Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs.5200-20,200/- plus Grade Pay of Rs.1800	Not applicable

Age- limit for direct recruits	**Educational and other qualifications required for direct recruits**	**Whether age educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes**	**Period of probation, if any**
(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18-25 of age **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir state, Lahul and Spiti district and pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pardesh, Andaman and Nicobar Island and Lakshdweep). In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names	Matriculation or equivalent pass	Not applicable	Two years

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(10)	(11)	(12)	(13)
By direct recruitment	Not applicable	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation):-** 1.Director (Crops Directorate Concerned) - Chairman 2. Joint Director (Crops Directorate Concerned) - Member 3. Assistant Director (Crops Directorate Concerned) - Member 4. An officer of the Central Government Department other than the Crops Directorate - Member	Not applicable

[F. No. 1-2/2014-CA-III]

M. K. SAHAY, Under Secy. (Crops)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून 2015

सा.का.नि. 481(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पटसन विकास निदेशालय (डायरेक्ट्रेट ऑफ जूट डेवलपमेंट), (समूह III और IV पद) भर्ती नियम, 1968 को अधिक्रांत करते हुए, पटसन विकास निदेशालय, कोलकाता में समूह "ग" बहुकार्य कर्मचारिवृंद के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, पटसन विकास निदेशालय, बहुकार्य कर्मचारिवृंद, भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना : ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विर्निदिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैण्ड और ग्रेड वेतन या वेतनमानः उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैण्ड तथा ग्रेड वेतन या उससे संलग्न वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. निरर्हताः वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्तिः जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्तिः इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैन्ड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
बहुकार्य कर्मचारिवृंद	4* (2015) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	5200-20,200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रूपये	लागू नहीं होता	आयु 18-25 वर्ष के बीच **टिप्पण 1:-** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती किए जाने की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	मैट्रिकुलेशन अथवा समतुल्य पास	लागू नही होता

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति; भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) :- 1. निदेशक (संबंधित फसल निदेशालय) - अध्यक्ष 2. संयुक्त निदेशक (संबंधित फसल निदेशालय) – सदस्य 3. सहायक निदेशक (संबंधित फसल निदेशालय) - सदस्य 4. फसल निदेशालय से भिन्न केन्द्रीय सरकार के विभाग का एक अधिकारी – सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. 1-2/2014-सीए- III]

एम. के. सहाय, अवर सचिव (फसल)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd June, 2015

G.S.R. 481(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of Patsan Vikas Nideshalaya (Directorate of Jute Development), (Class III and IV posts) Recruitment Rules, 1968, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C', Multi Tasking Staff posts in the Directorate of Jute Development, Kolkata.

1. Short title and Commencement.—

(1) These rules may be called the Directorate of Jute Development, Department of Agriculture and Co-operation, Ministry of Agriculture, Multi Tasking Staff Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.—**These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed hereto.

3. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale**.—The number of posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the said Schedule annexed to these rules.

4. **Method of Recruitment, age-limit and qualification, etc**.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in Columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.—**No person ,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.—**Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.—**Nothing in these rules shall effect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Serviceman and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time-to-time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	**Number of post**	**Classification**	**Pay Band and Grade Pay/Pay Scale**	**Whether Selection post or non-selection post**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Multi Tasking Staff	4*(2015) *(Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs.5200-20,200/- plus Grade Pay of Rs.1800	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18-25 of age **Note**: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir state, Lahul and Spiti district and pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pardesh, Andaman and Nicobar Island and Lakshdweep). In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names	Matriculation or equivalent pass	Not applicable	Two years

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(10)	(11)	(12)	(13)
By direct recruitment	Not applicable	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation):-** 1.Director (Crops Directorate concerned) - Chairman	Not applicable

		2. Joint Director (Crops Directorate concerned) - Member 3. Assistant Director (Crops Directorate Concerned) - Member 4. An officer of the Central Government Department other than the Crops Directorate - Member	

[F. No. 1-2/2014-CA-III]

M. K. SAHAY, Under Secy. (Crops)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून 2015

सा.का.नि. 482(अ).—राष्ट्रपति, एतद्वारा संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कपास विकास निदेशालय (डायरेक्ट्रेट ऑफ कॉटन डेवलपमेंट), चपरासी भर्ती नियम, 1968 को अधिक्रांत करते हुए, कपास विकास निदेशालय, नागपुर में समूह "ग" बहुकार्य कर्मचारिवृंद के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, कपास विकास निदेशालय, बहुकार्य कर्मचारिवृंद, भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना : ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विर्निदिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैण्ड और ग्रेड वेतन या वेतनमानः पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैण्ड तथा ग्रेड वेतन या उससे संलग्न वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. निरर्हताः वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्तिः जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैन्ड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
बहुकार्य कर्मचारिवृंद	4* (2015) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	5200-20,200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रुपये	लागू नहीं होता	आयु 18-25 वर्ष के बीच **टिप्पण 1**:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती किए जाने की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	मैट्रिकुलेशन अथवा समतुल्य पास	लागू नही होता

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति; भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे** :- 1. निदेशक (संबंधित फसल निदेशालय) - अध्यक्ष	लागू नहीं होता

			2. संयुक्त निदेशक (संबंधित फसल निदेशालय) – सदस्य 3. सहायक निदेशक (संबंधित फसल निदेशालय) - सदस्य 4. फसल निदेशालय से भिन्न केन्द्रीय सरकार के विभाग का एक अधिकारी – सदस्य	

[फा. सं. 1-2/2014-सीए-III]

एम.के.सहाय, अवर सचिव (फसल)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd June, 2015

G.S.R. 482(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of Directorate of Cotton Development peons Recruitment Rules, 1968, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C', Multi Tasking Staff posts in the Directorate of Cotton Development, Nagpur.

1. Short title and Commencement.—

(1) These rules may be called the Directorate of Cotton Development, Department of Agriculture and Co-operation, Ministry of Agriculture, Multi Tasking Staff Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.—**These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed hereto.

3. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.—**The number of posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the said Schedule annexed to these rules.

4. **Method of Recruitment, age-limit and qualification, etc.—**The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in Columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.—**No person ,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.—**Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.—**Nothing in these rules shall effect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes, Other Backward Classes, Ex-Serviceman and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time-to-time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether Selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Multi Tasking Staff	4*(2015) *(Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs.5200-20,200/- plus Grade Pay of Rs.1800	Not applicable

Age- limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18-25 of age **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir state, Lahul and Spiti district and pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pardesh, Andaman and Nicobar Island and Lakshdweep). In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names	Matriculation or equivalent pass	Not applicable	Two years

Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption grades from which promotion/ deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition
(13)	(10)	(11)	(12)
Not applicable	By direct recruitment	Not applicable	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation):-** 1.Director (Crops Directorate concerned) - Chairman 2. Joint Director (Crops Directorate concerned) - Member 3. Assistant Director (Crops Directorate Concerned) - Member 4. An officer of the Central Government Department other than the Crops Directorate - Member

[F. No. 1-2/2014-CA-III]

M. K. SAHAY, Under Secy. (Crops)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2जून, 2015

सा.का.नि. 483(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तिलहन विकास निदेशालय (डायरेक्ट्रेट ऑफ ऑयलसीड डेवलपमेंट), (समूह ग और घ पद) भर्ती नियम, 1967 को अधिक्रांत करते हुए, तिलहन विकास निदेशालय, हैदराबाद में समूह "ग" बहुकार्य कर्मचारिवृंद के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, तिलहन विकास निदेशालय, बहुकार्य कर्मचारिवृंद, भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना : ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विर्निदिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैण्ड और ग्रेड वेतन या वेतनमानः पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैण्ड तथा ग्रेड वेतन या उससे संलग्न वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. निरर्हताः वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. शिथिल करने की शक्तिः जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैन्ड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की

							दशा में लागू होंगी या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
बहुकार्य कर्मचारिवृंद	4* (2015) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ' ग ', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	5200-20,200 रु. + ग्रेड वेतन 1800 रूपये	लागू नहीं होता	आयु 18-25 वर्ष के बीच **टिप्पण :-** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती किए जाने की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	मैट्रिकुलेशन अथवा समतुल्य पास	लागू नही होता

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति; भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	**समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-** 1. निदेशक (संबंधित फसल निदेशालय) - अध्यक्ष 2. संयुक्त निदेशक (संबंधित फसल निदेशालय) – सदस्य 3. सहायक निदेशक (संबंधित फसल निदेशालय) - सदस्य 4. फसल निदेशालय से भिन्न केन्द्रीय सरकार के विभाग का एक अधिकारी – सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. 1-2/2014-सीए-III]

एम. के. सहाय, अवर सचिव (फसल)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2 June, 2015

G.S.R. 483(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of Telhan Vikas Nideshalaya (Directorate of Oilseeds Development) (Group 'C' and 'D' posts) Recruitment Rules, 1967, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C', Multi Tasking Staff posts in the Directorate of Oilseeds Development, Hyderabad.

1. **Short title and Commencement**.—

(1) These rules may be called the Directorate of Oilseeds Development, Department of Agriculture and Cooperation, Ministry of Agriculture, Multi Tasking Staff Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.—**These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed hereto.

3. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.—**The number of posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the said Schedule annexed to these rules.

4. **Method of Recruitment, age limit and qualification, etc.—**The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in Columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.—**No person ,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.—**Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.—**Nothing in these rules shall effect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedule Tribes, Other Backward Classes, Ex-Serviceman and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time-to-time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether Selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Multi Tasking Staff	4*(2015) *(Subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 5200-20,200/- plus Grade Pay of Rs.1800	Not applicable

Age -limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18-25 of age **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir state, Lahul and Spiti district and pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pardesh,	Matriculation or equivalent pass	Not applicable	Two years

Andaman and Nicobar Island and Lakshdweep). In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names			

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(10)	(11)	(12)	(13)
By direct recruitment	Not applicable	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation):-** 1.Director (Crops Directorate concerned) - Chairman 2. Joint Director (Crops Directorate concerned) - Member 3. Assistant Director (Crops Directorate Concerned) - Member 4. An officer of the Central Government Department other than the Crops Directorate - Member	Not applicable

[F. No. 1-2/2014-CA-III]

M. K. SAHAY, Under Secy. (Crops)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.